राजस्व वाद 11/2014 खेताराम बनाम सरकार।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/10/25	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं पेशकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 LR Act के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही मौजा मोहम्मदपुरा के खेत खसरा नम्बर पुराना 6 मीन के 60 बीघा गैर खातेदारी आवंटन हुआ था। तब से आज तक वादी के कब्जा काश्त में है। मौजा रोही मोहम्मदपुरा का सम्वत 2017-2025 तक पुनः प्रबन्ध किया गया था। पुनःप्रबन्ध के दौरान उपरोक्त भूमि के बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 19 में 43 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 28 में 16 बीघा 10 बिस्वा बने है। उक्त खसरा नम्बर 19 की 43 बीघा 10 बिस्वा भूमि को वादी के नाम से दर्ज कर दी गई तथा उसकी खातेदारी मिल गई लेकिन खसरा नम्बर 28 की 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के भ्रातानीमिन दर्ज कर दी गई, जो काश्त के दिन से आज तक वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे वादी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती करवाकर दर्ज कराने का हकदार है जिसका यह दावा है। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा मोहम्मदपुरा के खेत ख०न० पुराना 6 मीन बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 28 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में भ्रातानीमिन के स्थान पर वादी का नाम दुरुस्त किया जाकर कागजात में वादी के नाम खातेदारी घोषित कीजावे। तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी जारी फरमाई जावे। वाद दायर रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष [signature] उप खण्ड अधिकारी लूणकरणसर	उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर (seal)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

को मान्यता दी गई। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में खसरा गिरदावरी स. 2015-2016 रोही मौजा मोहकमपुरा की पेश की जो EXP-1 है, खसरा गिरदावरी सम्वत 2018-2021 खसरा नं. 1/18 बी. बारानी 60 बीघा EXP-2, खसरा गिरदावरी स. 2023-2025 EXP-4, सम्वत 2020 से 2022 EXP-3, जमाबन्दी सम्वत 2018-2021 EXP-5, जमाबन्दी स. 2022 से 2025 EXP-6 मौजा मोहकमपुरा के गत वर्षों खसरा नम्बर 1346 ... जमाबन्दी सम्वत 170/143/3 / 40-... बीघा पेश की जो EXP-6, ... 43.10 बीघा 2025 वर्तमान खसरा नम्बर 19 बारानी ... जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की जो EXP-7 है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति मौजा रोही सम्वत 2050-2053 की प्रमाणित प्रति मौजा मोहकमपुरा पेश की जो EXP-9 है जिसमें खसरा नम्बर 19 की 43-10 बीघा व खसरा नं. 28/230 / 41.... बीघा कुल 84.10 बीघा खातेदार दर्ज है। किसान ... खसरा नम्बर 6 जिसके नये खसरा नम्बर 18 के 102.10 बीघा, 19 के 43-10 बीघा व 20 के 1213.15 बीघा बने हैं पेश की जो EXP-8 है।

प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी (उप.) बीकानेर द्वारा निर्णय दिनांक 27.12.2001 को वादी का वाद साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया गया। वादी द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपील स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड किया, व साथ ही न्यायालय को प्रेषित किया कि सेटलमेंट के बाद की एन्ट्रीज को निरस्त किया जाकर पूर्व की एन्ट्रीज कायम रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्यों के अलावा कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया। नायब तहसीलदार राज. की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करवाया गया। अंतिम बहस सुनी गई।

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सर्व प्रथम वादी की ओर से बहस प्रारम्भ करते हुए वादपत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी के गत खसरा नम्बर 6 मीन में 60 बीघा सम्वत 2015 में आवंटन हुई थी जिस पर वादी का आवंटन की दिनांक से आज दिन तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के गत खसरा नम्बर 6 मि. की 60 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 19 में 43.10 बीघा व 20 में 16.10 बीघा बने हैं। वादी को ख०नं० 19 की 43.10 बीघा रिकार्ड में कायम रखते हुए ख०नं० 20 की 16.10 बीघा को आराजी राज दर्ज कर दिया गया जबकि उपनिवेशन विभाग को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। उपनिवेशन विभाग का उक्त कार्य क्षेत्राधिकार से बाहर होने से प्रभाव शून्य है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 19.03.2003 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (उप०) बीकानेर के निर्णय दिनांक 27.12.2001 को निरस्त कर सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई ऐंट्रीज को निरस्त कर पूर्व इन्द्राज कायम करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि मौजा रोही मोटडसर (उ०) के खसरा नं० (वर्तमान) 20 की तादादी 16.10 बीघा का आराजीराज के स्थान पर वादी के नाम खातेदारी इन्द्राज की घोषणा फरमाई जावे।	
	विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस के अनुसार व पैरोकार राज की बहस है कि वादी द्वारा प्रथम निर्णय होकर प्राप्त होने के पश्चात ऐसा कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त	

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म
	भूमि पर वादी का सम्वत् 2052 के बाद निरन्तर कब्जा साबित होता है। प्रतिवादी राज्य का कथन है कि वादी को उपखण्ड से स्वीकृत 6 मीन में 60 बीघा सम्वत् खसरा नम्बर 2015 में आवंटित हुई थी जिसके तहत खसरा नं. कुल्ला 18 रकबा 102.10 बीघा, ख.नं. 19 रकबा 1213.10 बीघा 43.10 बीघा व खसरा 28 बाड़ाबी है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2050-53 ख.नं. 19 की 43.10 बीघा व खसरा 20/230 की 41.00 बीघा कुल 84.10 बीघा खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार वादी के नाम जमाबंदी सं. 2050-53 में 84.10 बीघा किस प्रकार दर्ज हुई है बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः वाद वादी विधि से साबित नहीं होने से खारिज योग्य है। जिसे कुल्लीगत खारिज किया जावे।	
	उभय पक्ष की बहस उभय पक्ष का मनन किया व प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो वादी साबित भी होने से सकते के मापक में खारिज किया जाता है। कोई डिक्री जारी होगी। फाइल निर्णय में शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 06/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : दयानन्द रूयल आरएएस

खेताराम बनाम सरकार

दावा अंतर्गत धारा 88,188 आरटीए

मुकदमानम्बर : 11/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील श्री लालचन्द जाट** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद पत्र प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस के आधार पर वाद पत्र के तथ्य साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है ।

प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस के आधार पर वाद पत्र के तथ्य साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है ।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीससदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

C

(दयानंद रूयल)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर